HOME (POLICE) DEPARTMENT

The 21st March, 1988

No. 32/4/85-1HGI.—In exercise of the powers conferred by rule 6(3) of Punjab Police Service Rules, 1959, the Governor of Haryana, in consultation with the Haryana Public Service Commission, hereby makes the following amendments to rules 5 and 8 of the rules relating to the subjects and standards of competitive examination for the post of Deputy Superintendent of Police :—

RULE 5

Sr. No.	Subjects		Maximum Marks compulsory subjects
1.	English	..	100 Marks
2.	Hindi	..	100 Marks
3.	General Studies	..	100 marks
4.	Viva voce	..	60 marks
			360 marks

RULE 8 COMPULSORY SUBJECTS

3. **General Studies.**—including every day science.—

This paper is intended to test the candidates' knowledge of current events and matters of everyday observations and experience. The General understanding and appreciation of everyday scientific principles as expected from an educated person is required. No specialised study of any scientific subject is expected. The paper will also include questions of History, Geography, Political Science, Economics, Art, Literature with special reference to Haryana.

4. **Viva Voce**—

The Viva Voce will be conducted to test the personal qualities of the candidates. The test will be in matters of general interest and needed to test the candidates' alertness, intelligence, general outlook etc.

OPTIONAL SUBJECTS (Any two of 100 marks each)

21	Persian	Deleted
23	French	Deleted
30.	Military Science— 100 marks.	The syllabus will be the same as is prescribed for B. A. in Haryana Universities at Rohtak, Kurukshetra and Panjab University.

Note :—The standard and contents of papers throughout the examination shall be similar to those of B. A. and B. Sc. exeminations of Universities located in Haryana and the Panjab University except that in the case of following papers the standard will be as indicated against each.

G. V. GUPTA,
Financial Commissioner and Secretary
to Government, Haryana, Home Department.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 22 मार्च, 1988

क्रमांक 287-ज (1)-88/9818.—श्री सरबदयाल, पुत्र श्री अमर दास, निवासी गांव अम्बाला छावनी, तहसील अम्बाला, जिला अम्बाला, को पर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3 (1) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 425-ज-(1)-75/6746, दिनांक 14 मार्च, 1975 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री सरबदयाल, की दिनांक 24 दिसम्बर, 1986 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरुप, हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधिन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस जागीर को श्री सरबदयाल की विधवा श्रीमती रामावती, के नाम खारीफ, 1987 से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

क्रमांक 326-ज-(2)-88/9823.—श्री वीर सिंह, पुत्र श्री लेखू राम, निवासी गांव गतौली, तहसील व जिला जीन्द, को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 4290-आर-III-69/28393, दिनांक 28 नवम्बर, 1969 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री बीर सिंह की दिनांक 7 अक्तूबर, 1976 को हुई मृत्य के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री बीर सिंह की विधवा श्रीमती सारां देवी के नाम खरीफ, 1977 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

ईश्वर चन्द गुप्ता,

कृते : अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व (लेखा तथा जागीर) विभाग।

28067CS(H)—Govt. Press, U.T., Chd.